

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 376 P.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------


20/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती दांगी मुधा खेरे पिता/पति चक्र सिंह मुधा खेरे
 मौजा उपरबालावाँगा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-
 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 116 / 117 / 66-67 के आधार पर दर्ज है।
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के दांगी मुधा खेरे के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>उपरबालावाँगा</u>	283	19	211,	0.92
			213	1.12
			302	0.32
			321	1.47
			323	0.92
			346	1.42
			348	1.16
			352	1.49

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 26/08/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
अड़की।

26/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/

भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक

सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती रांगा सुधा जॉरह

..... पिता/पति चक्र सिंह पुत्रा जॉरह मौजा धवलाली थाना-अड़की,

जिला-खूँटी के नाम से मौजा धवलाली थाना नं० 283 खाता सं० 192

प्लॉट सं० 211, 213, 302, 321, 323, 346, 348, 352 रकबा 0.92, 1.12, 0.32, 1.47, 0.92, 1.42, 1.16, 1.49 लगान 5.47 रुपये अलावे

शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप

ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा धवलाली

रांगा थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर

ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।